दिनांक	आज्ञा पत्र	
8.1.18	पत्रावली वास्ते आदेश पेश । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा-212 का पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नं0 207/1, 207/2, 208, 210 व खसरा नं0 210/6/2 जिसके नये खसरा नं0 283 रकबा 0.19 हैक्टर, ख0नं0 284 रकबस 0.72 हैक्टर, ख0नं0 285 रकबा 0.06 हैक्टर, ख0नं0 286 रकबा 1.04 हैक्टर, ख0नं0 287 रकबा 1.80 हैक्टर, ख0नं0 288 रकबा 1.57 हैक्टर ख0नं0 283/1730 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नं0 280/1788 रकबा 0.25 हैक्टर, ख0नं0 280/1787 रकबा 0.04 हैक्टर, ख0नं0 278 रकबा 1.70 हैक्टर ग्राम अलोदा में स्थित है । जो प्रार्थी के पिता के समय से ही प्रार्थी के कब्जा काश्त की है जिस पर प्रार्थी पुखता एवं कच्चे मकान बनाकर परिवार सहित आवास निवास कर रहा है ।इस आराजी के चारों तरफ मेडबन्दी है ।उक्त आराजी पूर्व में बंजड भूमि थी जिसको बाद में भू-अभिलेख अधिकारी एवं कर्मचारियों ने इसे चारागाह दर्ज कर दिया है एवं नदी नाले अंकित कर दिया । जबकि उक्त आराजी प्रार्थी के पिता के समय से ही कब्जा काश्त में रही है । उक्त आराजी चारागाह दर्ज हो जाने से अप्रार्थी तहसीलदार उक्त आराजी से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र योग्य अदालत मातहत में पेश किया । जिसे अदालत मातहत ने विधि विरूद्ध खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ	

है। अदालत मातहत का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। अदालत मातहत ने अपना निर्णय पारित करते समय विधि द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्तों का कोई विश्लेषण एवं विवेचन न कर आदेश पारित किया है । अदालत मातहत ने अपना निर्णय केवल एक निर्णय को आधार मानकर पारित किया है ।प्रस्तुत प्रकरण अब्दूल रहमान बनाम सरकार के तथ्यों के बारे में कोई विवेचन नहीं किया गया केवल इस प्रकरण का का हवाला देकर इस प्रकरण के तथ्यों पर कोई विवेचन न कर आदेश पारित किया है जो विधि के विपरित है ।अदालत मातहत ने अपना निर्णय केवल कल्पनाओं के आधार पर पारित किया है। जबकि अपीलान्ट उक्त आराजी पर पीढियों से काबिज काश्तकार है । अपीलान्ट विवादित आराजी पर पुख्ता मकान बनाकर परिवार सहित आवास निवास कर रहा है तथा अपनी खातेदारी की भूमि में बने चाह से पानी लेकर उक्त विवादित आराजी की सिंचाई कर अपने परिवार का लालन पालन कर रहा है । इन तथ्यों पर अदालत मातहत ने कोई गौर न कर केवल पूर्व प्रकरण अब्दूल रहमान बनाम सरकार का हवाला देकर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । जबकि पूर्व प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य इस प्रकरण से भिन्न है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट को पाबन्द किया जावे कि वह विवादित आराजी की दावे के निर्णय तक यथास्थिति बनाये रखें ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गइ । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अदालत मातहत में दावा विचाराधीन है। अतः दावे के निर्णय तक यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये जावे । विद्वान राजकीय अभिभाषक एवं रेस्पोडेन्ट सं0-2 के विद्वान वकील ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी चारागाह एवं नदी नाले की आराजी है जिस पर न तो स्थगन आदेश दिया जा सकता है और न ही किसी प्रकार के अपीलान्ट को अधिकार प्राप्त हो सकते हैं ।अपीलान्ट का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है ।अदालत मातहत ने अपना निर्णय उचित एवं विधिक पारित किया है ।अपील खारिज की जावे । बहस बगौर समाहत की गई ।पत्रावली का अवलोकन किया गया । राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी चारागाह एवं नदी नाले दर्ज है । जिस पर अब्दूल रहमान बनाम सरकार में दर्ज तथ्यों के अनुसार कोई सहायता अपीलान्ट को नहीं दी जा सकती। अदालत मातहत का आदेश उचित एवं विधिक संगत है ।जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं । अतः अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ का निर्णय दिनांक 21-5-2012 यथावत रखा जाता है । निर्णय सुनाया गया । 8/1/18 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	